संख्या-66/2026/1040/77-6-2026-1895317

प्रेषक,

प्रेरणा शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 09-09-2026**

विषय:- फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई), विदेश पूंजी निवेश, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इण्डिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के अंतर्गत अनुमन्य सब्सिडी की धनराशि रू. 12,76,41,04,086.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्र संख्या-4774/इन्वेस्ट यू0पी0/एसकेएस/2026-27, दिनांक 08.05.2026(प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत नीति-2023 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित रू. 2302.61 करोड़ (रूपये तेइस अरब दो करोड़ इकसठ लाख मात्र) के सापेक्ष फ्रण्ट एंड लैण्ड सब्सिडी के रूप में यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) के पक्ष में कुल देय धनराशि रू. 12,76,41,04,086.00 (रूपये बारह अरब छिहत्तर करोड़ इकतालीस लाख चार हजार छियासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

UP FDI, FCI Policy-2023				
SI.NO	Allottee Name	Amount (In Rs)	Authority	Subsidy type
1	**Minda Corporation Ltd**	1,10,98,45,598.00	YEIDA	Front End Land Subsidy
2	**Havells India Ltd**	1,66,86,33,940.00	YEIDA	Front End Land Subsidy
3	**Pine Valley Ventures Pvt Ltd**	66,86,17,141.00	YEIDA	Front End Land Subsidy
4	**Minda Corporation Ltd**	77,62,08,263.00	YEIDA	Front End Land Subsidy
5	**Escorts Kubota Ltd**	4,98,52,02,025.00	YEIDA	Front End Land Subsidy
6	**CNH Industrial India Pvt Ltd**	3,26,29,28,369.00	YEIDA	Front End Land Subsidy
7	**Sur.organic Industries Pvt Ltd**	29,26,68,750.00	YEIDA	Front End Land Subsidy
	Total	**12,76,41,04,086.00**		

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 के लेखा-शीर्ष 2852- उद्योग, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 12- 'फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट (एफ.डी.आई.) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023' की मानक मद-27 सब्सिडी में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राविधानित 2302.61 करोड़ के सापेक्ष यीडा को रू. 12,76,41,04,086.00 (रूपये बारह अरब छिहत्तर करोड़ इकतालीस लाख चार हजार छियासी मात्र) की धनराशि अंतरित किये जाने के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि यीडा के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा यीडा द्वारा रखा जाएगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
5. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. धनराशि से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित निदेशक, उद्योग,उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा यीडा को उपलब्ध कराए जायेंगे।
7. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,76,41,04,086 (रुपये बारह अरब छिहत्तर करोड़ इकतालीस लाख चार हजार छियासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808001200 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट (एफ.डी.आई.) एवं फार्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

प्रेरणा शर्मा

विशेष सचिव।

http:

संख्या-66/2026/1040(1)/77-6-2026-1895317 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्र संख्या-4774/इन्वेस्ट यू0पी0/एसकेएस/2026-27, दिनांक 08.05.2026 के संदर्भ में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11. नियोजन अनुभाग-1/4
12. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मानिक चन्द्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।